अध्याय XIX

लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों (वाणिज्यिक) पर की गई अनुवर्ती कार्रवाई

भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक (सीएजी) के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सीपीएसईज के विभिन्न कार्यालयों तथा विभागों में अनुरक्षित खातों तथा अभिलेखो की संवीक्षा की प्रक्रिया की पराकाष्ठा को प्रस्तुत करते हैं। इसलिए यह आवश्यक है कि लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर कार्यकारी से उचित तथा समय पर प्रतिक्रिया प्राप्त की जाएं।

लोकसभा सचिवालय ने सभी मंत्रालयों को संसद के दोनो सदनों के समक्ष प्रस्तुत सीएजी के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों (वाणिज्यिक) में निहित विभिन्न पैराग्राफों/मूल्यांकनो पर उनके द्वारा की गई उपचारात्मक/सुधारात्मक कार्रवाई को दर्शाते हुए टिप्पणियां (लेखापरीक्षा द्वारा पूर्ण रूप से पुनरीक्षित) प्रस्तुत करने के लिए अनुरोध किया (जुलाई 1985)। पैराग्राफों/मूल्यांकनो के संदर्भ में ऐसी टिप्पणियां प्रस्तुत करना अपेक्षित था जिसे विस्तृत जांच के लिए सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम समिति (कोपू) द्वारा चयनित नहीं किया गया। उक्त निर्देशों को दोहराते समय अपने द्वितीय प्रतिवेदन (1998-99- बारहवीं लोक सभा) में कोपू ने सिफारिश की कि:

- प्रत्येक सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (पीएसयूज) पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों (वाणिज्यिक) के संदर्भ में एक्शन टेकन नोट (एटीएन) की प्रस्तुति की मॉनीटरिंग के लिए प्रत्येक मंत्रालय में एक मॉनीटरिंग सेल की स्थापना करना;
- विभिन्न मंत्रालयों के तहत कई पीएसयूज से संबंधित पैरो वाले प्रतिवेदनों के संदर्भ में एटीएन की प्रस्तुति की मॉनीटरिंग के लिए सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) में एक मॉनीटरिंग सेल की स्थापना करना; तथा
- संसद में प्रस्तुत किए गए सीएजी के सभी प्रतिवेदनों के संदर्भ में सम्बद्ध लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों, की प्रस्तुति की तिथि से छः माह के अन्दर लेखापरीक्षा द्वारा पूर्ण रूप से पुनरीक्षित अनुवर्ती कार्रवाई एटीएन समिति को प्रस्तुत करना।

उक्त सिफारिशो पर सरकार द्वारा की गई अनुवर्ती कार्रवाई की समीक्षा करते समय, कोपू ने अपने प्रथम प्रतिवेदन (1999-2000-तेरहवीं लोक सभा) में अपनी पूर्व सिफारिशों को दोहराया कि डीपीई को प्रत्येक उपक्रम पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों (वाणिज्यिक) में निहित आपत्तियों पर विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा की गई अनुवर्ती कार्रवाई को मॉनीटर करने

के लिए स्वयं डीपीई में एक पृथक मॉनीटरिंग सेल की स्थापना करनी चाहिए। डीपीई ने सूचित किया (मार्च 2015) कि संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग द्वारा एटीएन की प्रस्तुति पर अनुवर्ती कार्रवाई को मॉनीटर करने के लिए एक पृथक मॉनीटरिंग सेल की स्थापना की गई थी। डीपीई ने यह भी सूचित किया कि उन्होंने अपने विभाग में मॉनीटरिंग सेलों की स्थापना करने के लिए सीपीएसई पर क्षेत्राधिकार वाले सभी संबंधित विभागों को भी अनुरोध किया था।

लेखापरीक्षा में समीक्षा से पता चला कि अनुस्मारकों के बावजूद, विभिन्न मंत्रालयों से 32 एटीएन प्रतीक्षित है जैसाकि **परिशिष्ट-III** में विस्तृत किया गया है।

नई दिल्ली **(एच. प्रदीप राव)**

दिनांक: 14 मार्च 2017 **उप-नियंत्रक महालेखापरीक्षक एवं अध्यक्ष, लेखापरीक्षा बोर्ड**

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली **(शशि कान्त शर्मा)**

दिनांक: 14 मार्च 2017 **भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक**